[2019] 10 एससीआर 133

मुख्य आयुक्त इनकम टैक्स-4 मुंबई

बनाम

मेसर्स एसजी एशिया होल्डिंग्स (इंडिया) पीवीटी। लि।

(सिविल अपील नं 6144 का 2019) अगस्त 13, 2018

[उदय उमेश ललित और विनीत सरन, जे.जे।

आयकर अधिनियम, 1961: एस. 92 स्थानांतरण मूल्य समायोजन- उत्तरदाता को अपनी मूल कम्पनी से कुछ मात्रा में दलाली प्राप्त हुई -मूल्यांकन की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी को मूल कंपनी और दलाली की दर के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था-मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा लगाया गया दलाली केवल 0.05% था जो बाजार में प्रचलित दरो की तुलना में कम दर पाया गया था, इसलिए मूल्यांकन अधिकारी ने गणना एनजी मूल्यांकन ने अधिनियम के एस. 92 के तहत मु0-2,89,82,746/- का जोड़ दिया- अपीलीय प्राधिकारी ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए जोड़ की पुष्टि की- न्यायाधिकरण ने पहले दो अधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्षों को अलग रखा और पाया कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया गया मूल्य निर्धारण समायोजन सीबीडीटी द्वारा अपने निर्देश संख्या 3/2003 दिनांक 20.05.2003 में जारी किए गए अनिवार्य निर्देशों के विपरीत था- न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी थी- अपील पर, पायाः

सीबीडीटी द्वारा निर्देश संख्या 3/2003 में जारी दिशा-निर्देश में पाया कि, न्यायाधिकरण यह पर्यवेक्षण में सही था कि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) का संदर्भ नहीं देकर, मूल्यांकन अधिकारी ने सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन किया था- इसके लिए उचित संदर्भ बनाने के लिए मामला मूल्यांकन अधिकारो को प्रेषित

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील नं- 6144/2019

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आयकर अपील संख्या 281/2016 दिनांकित 27.08.2018 के निर्णय और आदेश से

महाबीर सिंह, सीनियर अधिवक्ता - वी- गिरीश चौधरी, एच.आर. राव, श्रीमती अनिल कटियार, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता

अरिजीत चक्रवर्ती, आरुष नेगी, अभिषेक तिलक, हिमांशु त्यागी, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

उदय उमेश ललित, जे. न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

1- विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 27.08.2018 के फैसले और अंतिम आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा 2016 के आयकर अपील संख्या 281 को खारिज कर दिया गया था और इस तरह आयकर अपीलीय द्वारा पारित दिनांकित 22.04.2015 के आदेश की पुष्टि की गई थी। न्यायाधिकरण ('न्यायाधिकरण', संक्षेप में) आईटीए नंबर 2399/मम/2009 में।

2- इस अपील को दायर करने के लिए तथ्य निम्नानुसार हैं:-

क) प्रतिवादी को अपनी मूल कंपनी से कुछ मात्रा में दलाली प्राप्त हुई थी। मूल्यांकन की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी को मूल कंपनी और दलाली की दर के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद, प्रतिवादी को यह स्थापित करने के लिए कहा गया था कि क्या मूल कंपनी मध्यस्थता गतिविधि में शामिल थी और क्या शुल्क लिया गया था। मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, चार प्रतिवादी द्वारा निर्धारित दलाली केवल 0.05% था जो बाजार में प्रचलित दरों की तुलना में कम दर पर पाया गया था। मूल्यांकन अधिकारी, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन की गणना करते हुए, अधिनियम की धारा 92 के तहत अपने आदेश दिनांक 27.12.2007 को अतिरिक्त धनराशि मु0- 2,89,82,746/-रूपए जोड़ा गया।

ख) इससे क्षुब्ध होकर उत्तरदाता सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर किया, जिसने अपने आदेश दिनांकित 16.02.2009 द्वारा मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए जोड़ की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। इस मामले को न्यायाधिकरण के समक्ष आईटीए नंबर-2399/ एमयू/2009 दाखिल करके आगे बढ़ाया गया।

ग) न्यायाधिकरण ने अपने आदेश द्वारा दिनांक 22.04.2015 को पहले दो अधिकारियो द्वारा दिए गये निष्कर्षो को अपास्त किया और यह पाया कि
प्रधान आयुक्त, आयकर मुम्बई
बनाम
मेसर्स। एसजी एशिया होल्डिंग्स (आई) पीवीटी लि।
[उदय उमेश ललित, जे.]

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन सीबीडीटी इसके निर्देश संख्या 3/2003 दिनांक 20.05.2003 के द्वारा जारी किए गए अनिवार्य निर्देशों के विपरीत था ।

अपील की अनुमति देते समय, न्यायाधिकरण ने निम्न के रूप में देखा - "16.1 यहां पूरी न्यायिक चर्चा पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनिवार्य निर्देशों को हल्के ढंग से अलग नहीं किया जा सकता है। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी का संदर्भ नहीं देकर, एओ ने सीबीडीटी द्वारा जारी अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिससे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस मुद्दे पर मूल्यांकन आदेश दिया गया है। इसलिए, हम इस मुद्दे पर एलडी सीआईटी (ए) के निष्कर्षो को अपास्त करते हुए यह पाया सीबीडीटी के अनिवार्य निर्देशों के विपरीत एओ द्वारा किए गए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन कानून कानूनन गलत है। यहां, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 'मूल्यांकन आदेश अच्छा है लेकिन इसमें किए गए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन कानूनन गलत है। इसलिए ग्राउंड नं- 11 आंशिक रूप से अनुमन्य है। 16.2 इस मुद्दे के साथ भाग लेने से पहले, एल. डी. डीआर ने जोर दिया है कि यदि एओ ने अनिवार्य निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो मामला अपास्त किया जा सकता है। एओ उस मामले को टीपीओ को

संदर्भित करें । हम एलडी के इस तर्क से सहमत नहीं है उसके लिए सामान्य कारण है कि न्यायाधिकरण एक अपीलीय प्राधिकरण है और इसलिए प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य हैं। टीपीओ को संदर्भित प्रशासनिक मामला है जिसे एओ द्वारा पालन किया जाना था जिसे वह ऐसा करने में विफल रहा है। न्यायाधिकरण एओ द्वारा की गयी ऐसी चूक के लिए न्यायाधिकरण कुछ अच्छा नहीं कर सकता है।

17. जैसा कि हमने पाया टीपी का कानूनन समायोजन खराब है, हमें मामले गुण-दोष पर गौर करना सहीं नहीं लगता।

18. परिणामस्वरूप, निर्धारिती द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से अनुमन्य है । .....

3. न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी जो वर्तमान में अपील के अधीन है। हमने अपील के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह को और उत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अरिजीत चक्रवर्ती को सुना।

4. निर्देश संख्या 3/2003 दिनांक 20.05.2003 जो न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के साथ किया गया आंकलन, निम्नानुसार है:-

"निर्देश सं0- 3/2003

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92

स्थानान्तरित मूल्य निर्धारण आय से संग्रह -

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित

धारा 92 सहमति मूल्य

परिवहन कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश और

परिचालन हस्तांतरण के लिए कार्यालयों का आकलन

मूल्य निर्धारण और प्रक्रिया करने के लिए।

एक समान

निर्देश सं0- 3/2003, दिनांक 20-05-2003

(निर्देश संख्या 15/2015 (एफ. एन. ओ. 500/)

9/2015-एएपीए-द्वितीय), दिनांक 16-10-2015)

मूल्यांकन वर्ष 2002-03 से प्रावधानों के संदर्भ में धारा 92 में निहित हस्तांतरण मूल्य से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम के 92 एफ, प्रभाव से लागू हो गए हैं। एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से आय की गणना संबद्ध उद्यमों के बीच सहमति मूल्य के संबंध में की जानी है।

इसके अलावा स्थानान्तरित मूल्य अधिकारी मूल्य अधिकारी से संदर्भ प्राप्त करने पर धारा 92 CA के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की सहमति मूल्य के बावत विनश्चित करेगा।
वह टीपीओ को एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में सहमति मूल्य की गणना का उल्लेख कर सकता है। स्थानान्तरित मूल्य अधिकारी की शक्ति धारा 92 सीए की उप-धारा (3) प्रदान करती है कि टीपीओ उसके पास उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखने के बाद लिखित में एक आदेश द्वारा, धारा 92 सी की उप-धारा (3) के अनुसार सहमति मूल्य निर्धारित करें। धारा 92 सीए की उप-धारा (4) में यह प्रावधान है कि टीपीओ के आदेश प्राप्त होने पर निर्धारण अधिकारी टीपीओ द्वारा निर्धारित सहमति मूल्य के संबंध में निर्धारित कुल आय की गणना करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करे। इस प्रकार, जबकि सहमति मूल्य का निर्धारण, जहां भी उसके लिए संदर्भ दिया जाता है, टीपीओ द्वारा संप्रदाय की उप-धारा (3) के तहत किया जाना आवश्यक है।
92 सीए, धारा 92 सी की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाता है, कुल आय की गणना सहमति मूल्य के संबंध में होती है, इसलिए टीपीओ द्वारा निर्धारित धारा 92 सी की उप-धारा (4) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
धारा 92 सीए की उप-धारा (4) के साथ पढ़ें।
टीपीओ का संदर्भ देने के लिए, मूल्यांकन अधिकारी को खुद को संतुष्ट करना होगा कि करदाता ने एक संबद्ध उद्यम के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में प्रवेश किया है, जिन स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के बारे में तथ्यात्मक जानकारी एकत्र की जा सकती है, उनमें से एक फॉर्म नंबर 2 सीईबी है, जो रिटर्न के साथ दायर किया जाता है, जो एक लेखाकार की रिपोर्ट की प्रकृति में होता है, जिसमें वर्ष के दौरान करदाता द्वारा दर्ज किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का मूल विवरण होता है और संबंधित प्रवेश जिसके साथ इस तरह के लेनदेन में प्रवेश किया जाता है, दस्तावेजो की प्रकृति बनाए रखी जाती है और विधि का पालन किया जाता है। इस प्रकार, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के बारे में प्राथमिक विवरण आम तौर पर प्रथम दृष्टया विश्वास पर पहुंच सकता है कि क्या एक संदर्भ आवश्यक माना जाता है। इस स्तर पर कोई विस्तृत पूंछतांछ की आवश्यकता नहीं है और मूल्यांकन अधिकारी को शुद्धता या अन्य की जांच नहीं करनी चाहिए।
इस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत। प्रारम्भिक वर्षो में इन प्रावधानो के कार्यान्वयन और पर्याप्त डेटाबेस के लंबित विकास के लिए यह उचित होगा यदि एक छोटी संख्या

मामलों को हस्तांतरण मूल्य की जांच के लिए चुना जाता है और इन्हें प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है। इसलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां भी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य रु। 5 करोड़ से अधिक है। धारा 92 सीए के तहत मामले की जांच के लिए संदर्भ टीपीओ को दिया जाना चाहिए। यदि किसी संबद्ध उद्यम के साथ एक से अधिक लेनदेन होते हैं या एक से अधिक संबद्ध उद्यमों के साथ लेनदेन होते हैं, जिसका कुल मूल्य 5 करोड़ से अधिक होता हो टीपीओ को भेजा जाना चाहिए। टीपीओ को संदर्भ देने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम के तहत प्रतिफल के रूप में आयुक्त / निर्देशक की मंजूरी लेनी होगी।

धारा 92 सीए के प्रावधानों के तहत संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में है। इसलिए सभी लेनदेन को संदर्भ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना है। चूंकि मामले को टीपीओ के संदर्भ में बनाने से पहले जांच के लिए चुना जाएगा, इसलिए मूल्यांकन अधिकारी जांच के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है।
मूल्यांकन की कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान मामले के अन्य पहले पर विचार करने, अंतिम मूल्यांकन से पहले अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य पर टीपीओ की रिपोर्ट का इंतजार करें ।

टीपीओ के कार्यभार के आधार पर मु0- 5 करोड़ रूपए की सीमा की समीक्षा की जाएगी।

आंकलन वर्ष 2002-03 के लिए दायर लंबित रिटर्न के संबंध में उपरोक्त आधार पर जांच और टीपीओ के संदर्भ के लिए मामलों के चयन से संबंधित कार्य 30 जून, 2003 तक पूरा किया जाना चाहिए।

(2) स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी की भूमिकाः-मूल्यांकन अधिकारी से एक संदर्भ प्राप्त होने के बाद टीपीओ की भूमिका शुरू होती है। धारा 92 सीए के संदर्भ में यह भूमिका आकलन अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (नों) के संबंध में सहमति मूल्य के निर्धारण तक सीमित है। यदि उसके समक्ष कार्यवाही पाया जाता है कि कुछ अन्य संव्यवहार भी है, जो मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संदर्भित किए गये है, वह एक न्याय संदर्भ प्राप्त करेगा। मूल्यांकन अधिकारी के साथ ताकि इस तरह के लेनदेन के संबंध में एक नया संदर्भ प्राप्त हो। यह ध्यान दिया जा सकता है कि टीपीओ को लेनदेन और उद्यम विशिष्ट संदर्भ है।

धारा 92 सी के संदर्भ में टीपीओ द्वारा स्थानान्तरण मूल्य का।

मेसर्स एसजी एशिया होल्डिंग्स (आई) पीवीटी लि। (उदय उमेश ललित, जे.]

धारा 92 सी की उप-धारा (1) में निर्धारित विधियों और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सबसे उपयुक्त विधि को लागू करके कीमत किसी एक द्वारा निर्धारित की जानी है। ऐसे अवसर हो सकते हैं जहां सबसे उपयुक्त विधि का आवेदन परिणाम प्रदान करता है, लेकिन समान रूप से विश्वसनीय हैं। ऐसे सभी मामलों में, विधि की उपयुक्तता, डेटा की शुद्धता, विभिन्न कारकों को दिए गए वजन और इतने पर मूल्यांकन करने के लिए आगे की जांच आवश्यक हो सकती है। सबसे उपयुक्त विधि का चयन मामले के तथ्य और नियम 10 सी में निहित नियमों में उल्लिखित कारक उपरोक्त पर निर्भर करेगा। सभी प्रासंगिक तथ्यों और उसके पास उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद टीपीओ सहमति मूल्य निर्धारित करेगा और डीआईटी (टीपी) की मंजूरी प्राप्त करने के बाद एक बोलने का आदेश पारित करेगा। आदेश में उपयोग किए गए डेटा का विवरण, एक निश्चित मूल्य पर पहुंचने के कारण और विधियों की प्रयोज्यता शामिल होनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सबसे उपयुक्त विधि के आवेदन सहित विधि का अनुप्रयोग, उपयोग किए गए डेटा, संबंधित तरीकों की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले कारक, किसी दिए गए तरीके के तहत मूल्य की गणना सभी न्यायिक जांच के अधीन होंगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि टीपीओ के आदेश में इन सभी मामलों पर पर्याप्त कारण हों। दस्तावेजों की प्रतियां या सहमति मूल्य पर पहुंचने में उपयोग किए जाने वाले प्रासंगिक डेटा को मूल्यांकन अधिकारी को उसके रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए

और अपीलीय या दंडात्मक कार्यवाही के बाद के चरणों मैं उपयोग किया जाना चाहिए।

(तृतीय) "सहमति मूल्य" प्राप्त होने के बाद मूल्यांकन अधिकारी की भूमिकाः धारा 92 सी की उप-धारा (4) के तहत, मूल्यांकन अधिकारी को टीपीओ द्वारा निर्धारित सहमति मूल्य संबंध में निर्धारिती की कुल आय की गणना करनी होती है, जबकि धारा 92 सीए की उप-धारा (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि आय की ऐसी गणना सहमति मूल्य के संबंध में की जाएगी, जो टीपीओ द्वारा निर्धारित की जाती है, यह जरूरी है कि करदाता को एक औपचारिक अवसर दिया जाए।
कुल आय के लिए हांथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण के संबंध में अवसर पहले से ही टीपीओ द्वारा दिया गया है और इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवसर, धारा 92 सी की उप-धारा (4) के तहत आय के अंतिम निर्धारण के लिए उप-धारा (4) के साथ पढ़ा जाता है। धारा 92 सीए का निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना है।

(4) डेटाबेस का रखरखावः यह डीआईटी (ट्रांसफर प्राइसिंग) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है कि मूल्यांकन से प्राप्त संदर्भ अधिकारी को तेजी से निपटाया जाता है ताकि आय की गणना करने और मूल्यांकन पूरा करने से पहले करदाता के बारे में सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय के साथ मूल्यांकन अधिकारी को अनुमन्य किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संदर्भों को समय पर और प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है, ऐसे सभी घटनाक्रमों का एक रिकॉर्ड इन दिशानिर्देशों के लिए अनुसंलग्नक 1 के रूप में संलग्न प्रारूप में बनाए रखा जाना चाहिए। यह प्रारूप भविष्य की कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बेस के रूप में भी काम करेगा और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि समान मामलों में "सहमति मूल्य" के निर्धारण में एक रूपता बनी रहे।

ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत हैं।

ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर वीईपी ईपी पे ईई एसएलएनओ द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड का पंजिका अनुरक्षित करेगा। आईओएम टीएक्स फास पीआर अटाप्रेज। 2 टॉपएयर टेपएयर। टीओ द्वारा ट्रासा एक्यू (पेयर सेक्शन पीबी) विज्ञापन 'ट्रांस्फर और और कैमट्री इन प्रिंग प्रकृति का आकलन करता है कि यह व्यापार अनुभाग के है।

अनुबंध द्वितीय

धारा 120 के तहत आदेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 सीए के साथ पढ़ा जाए, दिनांक अप्रैल, 2003

उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अभ्यास में (1) और धारा 120 की उपधारा (2) आयकर अधिनियम, 1961, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। इसके द्वारा करों का निर्देश है कि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण।

कॉलम 2 में उल्लिखित अधिकारियों के पास कॉलम 3 में उल्लिखित मुख्यालय कॉलम 5 में उल्लिखितः धारा 92 सीए में उल्लिखित मूल्य निर्धारण अधिकारी, धारा 92 सी और 92 डी के उद्देश्य के लिए व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अधिनियम ऐसी शक्तियाँ और

स्थानांतरण के ऐसे कार्य करेगा।

इनकम टैक्स-4, मुंबई वाई के प्रिंसिपल ।

मेसर्स । एसजी एशिया होल्डिंग्स (आई) पीवीटी। लि। [उदय उमेश ललित, जे.]

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह द्वारा अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया गया था, "मूल्यांकन अधिकारी ऐसा करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन मानता है तो वह आयुक्त की पिछली मंजूरी के साथ, सहमति मूल्य का उल्लेख कर सकता है" उक्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में सहमति मूल्य या धारा 92 सी के तहत निर्दिष्ट घरेलू लेनर्देन के संबंध में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी "अधिनियम की धारा 92 सीए में होने से संकेत मिलता है कि विवेकाधिकार मूल्यांकन अधिकारी में निहित था और यह हर एक मामले में अनिवार्य नहीं होगा कि वह टीपीओ को सहमति मूल्य की गणना के मुद्दे को संदर्भित करे।

6. हालाँकि, निर्देश संख्या 3/2003 में नियोजित निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ इस मामले को एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखती हैं:-

उपरोक्त विवरणों के आधार पर कि मूल्यांकन अधिकारी प्रथम दृष्टया विश्वास पर पहुंचता है कि उस संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है। इस स्तर पर कोई विस्तृत पूंछतांछ की आवश्यकता नहीं है और मूल्यांकन अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय की कीमत की शुद्धता या अन्यथा जांच करने पर नहीं लगना चाहिए।
इस स्तर पर लेनदेन .....यदि किसी संबद्ध उद्यम के साथ एक से अधिक लेनदेन होते हैं या एक से अधिक संबद्ध उद्यमों के साथ लेनदेन होते हैं, जिनका कुल मूल्य मु0- 15 करोड़ रूपए से अधिक है, तो लेनदेन को टीपीओ को भेजा जाना चाहिए। ..... चूंकि मामले को टीपीओ के संदर्भ में बनाने से पहले जांच के लिए चुना जाएगा, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान मामले के अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है लेकिन अंतिम मूल्यांकन करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य पर टीपीओ की रिपोर्ट का इंतजार कर सकता है।

''सहमति मूल्य'' की प्राप्ति के बाद मूल्यांकन अधिकारी की भूमिका
 धारा 92 सी की उपधारा (4) के तहत, टीपीओ द्वारा निर्धारित सहमति मूल्य की कीमत के संबंध में'' मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय की गणना करनी होगी

7. सीबीडीटी द्वारा निर्देश संख्या 3/2003 में जारी दिशा-निर्देशो के मद्देनजर न्यायाधिकरण यह देखने में सही था कि टीपीओ का संदर्भ नहीं देकर, मूल्यांकन अधिकारी ने सीबीडीटी द्वारा जारी अनिवार्य निर्देशो का उल्लंघन किया था। हमें न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह का निष्कर्ष गलत नहीं लगता है। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

8. हालाँकि, न्यायाधिकरण को अपने आदेश के पैरा 16.2 में उद्धृत विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सबमिशन को स्वीकार करना चाहिए था और इस मामले को मूल्यांकन अधिकारी की

फाइल में बहाल किया जाना चाहिए था ताकि टीपीओ को उचित संदर्भ दिया जा सके। इसलिए यह अधिनियम की धारा 92 सीए की उप-धारा (1) के संदर्भ में इस मामले पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों और आयुक्त पर निर्भर करेगा।

9. इसलिए, हम इस अपील को पूर्वोक्त सीमा तक अनुमति देते हैं और निर्धारण अधिकारी को निर्देश देते हैं कि निर्देश संख्या 3/2003 के संदर्भ में उचित कदम उठाए ।
10. अपील पूर्वोक्त सीमा तक अनुमन्य है। कोई खर्च नहीं। देविका गुजराल- अपील अनुमन्य।

(कृष्ण कुमार-V)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 13, प्रयागराज।
J.O. Code No. 6390